

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 776/2025

Akhtar Ali S/o Late Shree Ashraf Ali

----Appellant

Versus

Akbar Ali S/o Shree Wahid Ali

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Parmender Dadhich
For Respondent(s)	:	Ms. Sonia Sandilya Ms. Meenal Bhargava

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/01/2026

प्रार्थनापत्र संख्या 02/2025 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया।

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से एकल अपीलार्थी अख्तर अली की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान् को अपीलार्थी के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि एकल अपीलार्थी अख्तर अली की मृत्यु होने के उपरान्त उसके विधिक वारिसान् को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 22 नियम 3 सीपीसी समयावधि में प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु वह चैक नहीं हुआ और इस कारण हुए विलम्ब को दूर करने हेतु प्रार्थनापत्र संख्या 02/2025 प्रस्तुत किया गया है। अतः विलम्ब क्षमा किया जावे।

सुना गया। प्रार्थनापत्र में अंकित कारण व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए प्रार्थनापत्र संख्या 02/2025 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थनापत्र संख्या 01/2025 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र में एकल अपीलार्थी अख्तर अली की मृत्यु दिनांक 11.08.2025 को होना बताया गया है और उसके विधिक प्रतिनिधिगण प्रार्थनापत्र में वर्णितानुसार अपीलार्थी क्रम-1/1 लगायत 1/3 है। अतः अपीलार्थी के विधिक वारिसान् को अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की गई।

अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधिगण प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील चलाने का अधिकार रखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत तर्क व अंकित कारण को देखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा एकल अपीलार्थी के स्थान पर प्रार्थनापत्र में वर्णितानुसार उसके विधिक प्रतिनिधिगण को प्रतिस्थापित किया जाता है।

संशोधित शीर्षक पूर्व से प्रस्तुत है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
कार्यालय संशोधित शीर्षक को पत्रावली में यथोचित स्थान पर संलग्न करें।

(SHUBHA MEHTA),J